अति महत्वपूर्ण

संख्या:73/बा०स०/XVII–2/18–01(14)/2008

प्रेषक,

जे०पी० बेरी,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 17 मई ,2018

विषयः राज्य में निवासरत वृद्धजनों के कल्याणार्थ संचालित IPOP (Integerated Programme for older persons) के सम्बन्ध में।

महोदय,

P.A.(E)

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0– 15–39(102)/2016–17/Ag.I/ Sr.C.–I(Pt) दिनांक 5.05.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा/निर्देश के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2– उक्त के अतिरिक्त कि शासन के पत्र सं0– 251/XVII–2/18–01(14)/2008 दिनांक 02.05.2018 द्वारा श्री योगेन्द्र कोहली, संस्थापक सदस्य, एवं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संघठन, उत्तराखण्ड के पत्र में उल्लिखित सुझाव के क्रम में विवरणपरक आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था, अद्यतन अप्राप्त है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित आख्या अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(जे०पी० बेरी)
अनु सचिव।

निदेशालय
पत्र प्राप्ति दिनांक 24-5-2018
एवं पत्रांक संख्या 616
हस्ताक्षर

सुरेन्द्र सिंह, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
Surendra Singh, IAS
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

पत्रांक 1737 / मुख्य सचिव / 2018
दिनांक 07/05/18

Telephone: 011-23387269
FAX: 23382072

SL-121/2018

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 115

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 115
Telephone : 011-23387269
FAX 011-23382072

D.O. No. 15-39(102)/2016-17/Ag. I/ Sr. C.-I (Pt.)

Dated the 5th MAY ~~April~~, 2018

Dear Sir,

I am writing this in connection with the Central Sector Scheme of 'Integrated Programme for Older Persons (IPOP)' being implemented since 1992, under which financial assistance in the form of Grant-in-Aid is released to implementing agencies such as Non-Governmental Organisations (NGOs), Voluntary Organisations (VOs), Panchayati Raj Institutions(PRIs) etc. for running and maintenance of various projects such as Old Age Homes, Multi Service Centres, Physiotherapy Clinics etc. for the welfare of Senior Citizens.

2. The revision of the scheme of IPOP alongwith suitable increase in the cost norms for each project has been under consideration in this Ministry for quite some time. Now, the scheme has been revised extensively, involving change of its nomenclature to "Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC)", suitable increase in the amount of grant admissible in respect of projects/programmes, revision of guidelines of the Scheme, changes in the list of implementing agencies etc.

3. The State Government is requested to give wide publicity to the revised scheme and to issue suitable instructions to the concerned officers to recommend the ongoing projects, strictly in accordance with the revised scheme from 1st April, 2018 onwards, through the on-line portal (e-Anudaan portal) as early as possible, preferably by 31st May, 2018 and also to give necessary guidance/advice to the NGOs/implementing agencies to apply for grant in aid (GIA) according to the revised scheme. A copy each of the English and Hindi versions of the Scheme is enclosed. Details of the Scheme of IPSrC can be accessed on the website of the Ministry (www.socialjustice.nic.in) also.

4. It may kindly be noted that the State Governments through their registered societies have been envisaged to be the primary implementing agencies for the projects under revised scheme of IPSrC and will be eligible to receive 100% grants-in-aid on priority basis. Therefore, proposals for running/maintenance of the projects by the State Government may also be forwarded online to this Ministry for consideration.

With regards,

ACS, Social Welfare

Yours sincerely,

16.04.18

Surendra Singh

Encls: as above

Shri S. Ramaswamy
Chief Secretary
Government of Uttarakhand
Dehradun – 248 001

4236/AS(SW)/18 03-05-18
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
1506/ACS/18

विषय–सूची

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं0
1	प्रस्तावना	5
2	उद्देश्य और लक्ष्य	5
3	दृष्टिकोण	5
4	योजना के अंतर्गत सहायता हेतु ग्राहय कार्यक्रमों का ब्यौरा	6–11
5	परियोजना के लिए सहायता की सीमा	12
6	योजना के अंतर्गत सहायता लेने के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेन्सियां	12
7	सहायता हेतु गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के लिए पात्रता मानदंड	12
8	योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	13–18
9	अनुबंध–I : अनुग्राह्य परियोजनाओं की किस्म (परिशिष्ट– I से VII का ब्यौरा)	19
10	i. संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) सहित वरिष्ठ नागरिक गृहों/50 वृद्धजन महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों (50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए) का अनुरक्षण (परिशिष्ट–I)	20
11	ii. सतत देखभाल गृहों और अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए गृहों (20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए) का अनुरक्षण (परिशिष्ट -II)	21
12	iii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सचल चिकित्सा देखभाल यूनिट (परिशिष्ट -III)	22
13	iv. वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक (परिशिष्ट -IV)	22
14	v. क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (परिशिष्ट–V)	23
15	vi. अन्य कोई गतिविधियां, जिन्हें राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति के उपबंधों के कार्यान्वयन सहित, इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उपयुक्त समझा जाता है (परिशिष्ट–VI)	23
16	vii. परियोजनाएं जिन्हें अब छोड़ दिया गया है अथवा किसी अन्य किस्म की परियोजना के साथ विलय किया गया है अथवा जिन्हें अब राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा (परिशिष्ट -VII)	24
17	अनुबंध–II : वरिष्ठ नागरिकों के लिए समन्वित कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए आवेदन एवं निगरानी प्रपत्र	25–32